

आबकारी तथा कराधान विभाग
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
आदेश

दिनांक 17 सितम्बर, 2010

संख्या का०आ० ५७/प० अ० 16/1955/घा० 11/2010.—पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का 16), की धारा 11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, संगम अपने ज्ञापन में विषय के रूप में क्रीड़ा क्रिया-कलापों वाले किन्तु फन-पार्कों तथा उसी प्रकार के वाणिज्यिक साहसिक कार्यों को छोड़कर पंजीकृत क्लबों में क्रीड़ा खेलने वाले व्यक्तियों की प्रवेश फीस पर मनोरंजन शुल्क के भुगतान से छूट देते हैं।

रमेश जाखू,
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।
RAMENDRA JAKHU,
Principal Commissioner and Principal Secretary to
Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.